न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/319

1. रामस्वरूप भारद्वाज पुत्र श्री रामनिवास भारद्वाज **(मृतक)**
   - 1/1. जगदीश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीब 67 साल निवासी 10 वाई कैलाश कॉलोनी टोंक रोड जयपुर, राजस्थान।
   - 1/2. गिरिराज भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीब 65 साल, भारद्वाज आश्रम कृषि उपज मण्डी के पीछे अलवर।
   - 1/3. गायत्री देवी पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज पत्नी रामबाबू शर्मा उम्र करीब 62 साल निवासी बीच का मौहल्ला अलवर, राजस्थान।
   - 1/4. जगत भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीब 60 साल,
   - 1/5. कमल भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीब 58 साल,
   - 1/6. सुरेश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीब 55 साल,
   - 1/7. महेश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज **(मृतक)**
   - 1/7/1. श्रीमती नीतू भारद्वाज पत्नी श्री महेश भारद्वाज उम्र 52 साल,
   - 1/7/2. प्रिया भारद्वाज पुत्री श्री महेश भारद्वाज उम्र 28 साल,
   - 1/7/3. मेघा भारद्वाज पुत्री श्री महेश भारद्वाज उम्र 26 साल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान प्लॉट संख्या 381 धोबी गट्टा जेल चौराहा के पास अलवर तहसील व जिला अलवर।
   - 1/8. दिनेश भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज उम्र करीबन 49 साल समस्त निवासीयान मौहल्ला लादिया अलवर।
   - 1/9. सुनीता पुत्री स्व.श्री रामस्वरूप भारद्वाज पत्नी श्री महेन्द्र शर्मा उम्र करीब 46 साल निवासी 10, बाई कैलाश कॉलोनी टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान
   - 1/10. पुनीता पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप भारद्वाज पत्नी गजानन्द शर्मा उम्र करीब 43 साल निवासी स्कीम नम्बर 8 अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्टस

बनाम

1. राकेश मोहन पुत्र श्री विशनस्वरूप भारद्वाज, निवासी भारद्वाज आश्रम कृषि उपज मण्डी के पीछे अलवर–**मृतक**
   - 1/1. श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश मोहन उम्र 52 साल,
   - 1/2. मनीष भारद्वाज पुत्र स्व. श्री राकेश मोहन उम्र करीब 30 साल,
   - 1/3. दीपेन्द्र भारद्वाज पुत्र स्व. राकेश मोहन उम्र करीब 25 साल,
   - 1/4. दीप्ति पत्नी श्री जितेन्द्र पुत्री स्व. श्री राकेश मोहन उम्र 32 साल,
   - 1/5. वर्षा पत्नी श्री कृष्ण कांत पुत्री स्व. श्री राकेश मोहन उम्र 28 साल, निवासीयान विष्णु सदन भारद्वाज आश्रम के पास, एनई बी अलवर, राजस्थान।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. सावित्री पत्नी धनीराम निवासी भारद्वाज आश्रम मूंगस्का कृषि उपज मंडी के पीछे अलवर।
3. उर्मिला पत्नी राकेश मोहन भारद्वाज निवासी भारद्वाज आश्रम कृषि उपज मंडी के पीछे अलवर।
4. नीता उर्फ गीता पत्नी राजेश कुमार पत्नी विशनस्वरूप भारद्वाज निवासी टोली का

P.T.O.

कुआँ अलवर केयर आफ बाबूलाल अरजी नवीस का मकान टोली का कुआँ अलवर।

5. रामकिशोरी बेवा विशनस्वरूप भारद्वाज निवासी भारद्वाज आश्रम कृषि उपज मंडी के पीछे अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेमकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सतीश पचौरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/3 की ओर से

दिनांकः 26.11.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2003 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 76 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मेटर इन कन्ट्रोवर्सी को समझने में अपना ज्यूडिशियल माईण्ड कतई एप्लाई नही किया और इस तथ्यों पर भी गौर नही किया कि विवादित आराजी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट है एवं 1/2 भाग के काश्तकार अपीलान्ट के पिता रामनिवास थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र–पुत्रियॉ कायम मुकाम हुऐ है और इस प्रकार कुल भूमि में से 1/2 में से 1/4 भाग का बतौर वारिस काश्तकार है। उन्होने आगे कथन किया है कि इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.1977 के द्वारा तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 15.01.1977 को निरस्त कर दिया था एवं अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि 1/2 भाग का अपीलान्ट काश्तकार खातेदार है एवं शेष 1/2 भाग में से रामनिवास के वारिसान उत्तराधिकारी कायम किये जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20.12.1977 के निर्णय के पश्चात् तहसीलदार अलवर ने राजस्व वाद पेंडिग होने के कारण कोई अंतिम निर्णय पारित नही किया। उन्होने यह भी कथन किया है कि तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 15.07.1977 के निरस्तीकरण के बाद भी उनके इस आदेश के मुताबिक रामनिवास के समस्त वारिसान के नाम रिकार्ड में चलते 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट अकेला का नाम होना चाहिये एवं शेष 1/2 हिस्से पर रामनिवास के पुत्र–पुत्रियॉ का नाम बतौर वारिस होना चाहिये। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 334 भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्व रिकार्ड लैण्ड एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा लम्बित होने की आदेशिका पेश करने पर भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2003 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार अलवर द्वारा अपने आदेश पत्रावली संख्या 57/1978 दिनांक 10.07.1980 को राजस्व रिकार्ड में नोट अंकित करने का आदेश पारित किया गया था। प्रकरण विचाराधीन होने तक कोई इन्द्राज पारित नही किये जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2003 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

P.T.O.

उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नही किया है कि बन्दोंबस्त विभाग द्वारा सन् 1962 में विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा का काश्तकार अपीलान्ट को माना है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं तहसीलदार अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2000 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 एवं 1/3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट रामस्वरूयप ने न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष अपील दिनांक 04.05.2002 को तहरीरी इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर दिनांक 30.06.2000 का निर्णय पारित करने से पहले अपीलान्ट रामस्वरूप को सुनवाई का मौका नही दिया। जिस निर्णय की जानकारी दिनांक 22.04.2002 को प्राप्त हुई। जिस बाबत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट रामस्वरूप ने अपील में तथ्य अंकित किये है कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट 1/2 भाग के अपीलान्ट के पिता रामनिवास जिनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान कायम मुकाम हुए तथा शेष 1/2 में से 1/2 भाग के बतौर वारिस काश्तकार हुए तथा इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी अलवर ने दिनांक 20.12.2017 को तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 15.01.1977 को निरस्त कर दिया और निर्णय में 1/2 भाग के अपीलान्ट काश्तकार है एवं 1/2 भाग के रामनिवास के वारिसान उत्तराधिकार कायम किया जावें तथा उपखण्ड अधिकारी अलवर के रिमाण्ड आदेश के बाद कोई अंतिम निर्णय नही हुआ। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि अपीलान्ट को पूर्व में ही नामान्तरकरण संख्या 334 की जानकारी थी। चूंकि अपीलान्ट का भाई विष्णुस्वरूप का स्वर्गवास हो गया था और आराजी का नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 30.06.2000 को हो गया है। जो विष्णुस्वरूप के वारिसान राकेश मोहन, सावित्री, उर्मिला, नीता एवं रामकिशोरी बेवा विष्णुस्वरूप के हक में हस्बजाब्ता स्वीकार फरमाया है, जो कि मियाद की दरख्यास्त में तथ्य गलत अंकित किया है। लगभग दो साल के अरसे के बाद गलत आधारों को लेकर अपील दायर की गई है। विष्णुस्वरूप के उपरोक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस भी नही है। इसलिये अपीलान्ट को अपील दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नही है, ना ही जानकारी होने का कोई आधार था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार रामनिवास थे उनके वारिसान रामस्वरूप, विष्णुस्वरूप, किशनस्वरूप, रामनिवास की पत्नि कृष्णा पारीक, पुत्री सुशीला कानूनी वारिस काबिज जायदाद हुई। चूंकि रामनिवास कर्ता खानदान के कुल कार्य उनकी निगरानी व दायरे में होता था। रामनिवास के तीन पुत्र व एक पुत्री थे जिसमें रामस्वरूप बड़ा होने के कारण पिता के साथ कार्य परिवार में सहयोग करते थे। बाकी अन्य भाई छोटे थे उनके कहे अनुसार परिवार का कार्य करते थे। कुल जमीन की काश्त कर परिवार का लालन–पालन पोषण किया जाता था। अपीलान्ट रामस्वरूप बेजा रूप से अपना 1/2 हिस्सा का हक गलत प्रकार से क्लेम करना चाहता है जबकि रामनिवास के तीनों पुत्र व उनकी पत्नि एवं लड़की सबका बराबर हक आराजी में बनता है क्योंकि कानूनी है। अपीलान्ट का रामनिवास के वारिस होने के नाते आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2047 में रामनिवास के वारिसों का नाम अंकित है। रेस्पोडेन्ट विष्णुस्वरूप का नाम वारिस के रूप में अंकित है इसलिये विरासत का नामान्तरकरण संख्या 334 कानून के मुताबिक विष्णुस्वरूप के वारिसों के नाम सही दर्ज किया है जिस बाबत उज्र किये जाने का अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार नही है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रामनिवास दूसरा पुत्र किशनस्वरूप का 1/5 आराजी मुतनाजा में होने के कारण उसका वारिस अरूण के हक में 1/5 का नामान्तरकरण नम्बर 857 दिनांक 28.01.2011 को हो गया है। जिस बाबत अपील आज्ञा तक कोई एतराज

सम्माननीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अपील पेश नही की है। उस तथ्य से यह जाहिर व साबित होता है कि अपीलान्ट का किशनस्वरूप के वारिस का नामान्तरकरण खसरा नम्बर 27 में 1/5 हिस्सा का दर्ज बाबत कोई एतराज नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी कुल 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 वाके ग्राम मूंगसका में स्थित है, जो कि कुल रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा जमीन है, जो कि कुल किता 7 है, जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2036 से स्पष्ट दर्शित होती है कि उक्त आराजी को नगर विकास न्यास अलवर ने अवाप्ति की कार्यवाही की है जिसमें खसरा नम्बर 1, 5, 7, 10, 11 का नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 07.08.1982 को नगर विकास न्यास अलवर के पक्ष में हो गया है जिसका अवार्ड भी पारित हो गया है, जो कि अवार्ड बहिस्से रामनिवास के वारिस के नाम क्रमशः 1/5, 1/5 के हिसाब से ही हुआ है जिस नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 07.08.1982 के खिलाफ आज तक कोई अपील नही की गई है। अवार्ड में विवादित नम्बर ना होने के कारण काश्तकारों के नाम कागजात माल में अलम हस्बजाब्ता 1/5 दर रहा है। जिसमें कुंआ व आबादी बनी हुई है जो कि तथ्या काबिज गौर है। अवार्ड भी रामनिवास के वारिसान विष्णुस्वरूप, किशनस्वरूप, रामस्वरूप, कृष्णप्यारी पत्नि सुशीला पुत्री के नाम मुआवजा जारी किया गया है जो आराजी 1/5 बहिस्सा बराबर कायम है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रामस्वरूप व उसके दो भाई किशनस्वरूप व विष्णुस्वरूप, रामप्यारी के तथा विष्णुस्वरूप का पुत्र राकेश मोहन, रामकिशोर का देहान्त हो गया है तथा रामस्वरूप के लड़के महेश का भी स्वर्गवास हो गया है। काफी समय से मुकदमाबाजी आराजी की बाबत दायर है। मौजूदा अपील का विवाद 22 साल से चल रहा है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही होती है, जो काश्त के लगान बाबत होती है जिससे कोई हकूक तय नही होते है। अपीलान्ट अधीन वादग्रस्त नामान्तरकरण है जो कि पूर्व कागजाती जमाबन्दी सम्बव् 2047 के इन्द्राज के आधार पर खातेदार मृतक के वारिसों के नाम खुला है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मध्यनजर निवेदन है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे मियाद बाहर अपील पेश की तथा विष्णुस्वरूप खातेदार कागजात माल जमाबन्दी सम्वत् 2047 के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के हक में 1/5 हिस्सा नामान्तरकरण दर्ज किया है, जो कि नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरें एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के 1/2 भाग के खातेदार अपीलान्ट व 1/2 भाग के खातेदार अपीलान्ट के पिता रामनिवास राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने सम्बन्धी मुख्य रूप से वाद पक्षकारान के मध्य वर्ष 1984 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन रहा है। प्रश्नगत भूमि के नामान्तरकरण सम्बन्धी तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 15.01.1977 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 20.12.1977 के द्वारा तहसीलदार का निर्णय दिनांक 15.01.1977 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिसके विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील होने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध नही होने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों को बिना ध्यान में रखे ही नामान्तरकरण संख्या 334 स्वीकार किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2003 पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसे में प्रकरण तहसीलदार अलवर को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2003 एवं नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 30.06.2000 वाके ग्राम मुंगस्का निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर भूमि विवादग्रस्त की सम्वत् 2047 एवं वर्तमान जमाबन्दी, वर्तमान में भूमि अवाप्त होने, तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 15.01.1977, उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20.12.1977 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का 3 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।